भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 955

जिसका उत्तर सोमवार, 10 फरवरी, 2025/21 माघ, 1946 (शक) को दिया गया

नाबार्ड द्वारा किसानों को फसल ऋण

955. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाबार्ड द्वारा देश के किसानों को सस्ती ब्याज दरों पर फसल ऋण प्रदान किया जा रहा है;

(ख) क्या देश के सभी राष्ट्रीयकृत बैंक और निजी बैंक भी किसानों को सस्ते ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में राष्ट्रीयकृत बैंकों और निजी बैंकों द्वारा फसल ऋण प्रदान किए गए किसानों की विशेष रूप से महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले सहित वर्षवार और राज्यवार संख्या कितनी है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): संशोधित ब्याज सहायता योजना (एमआईएसएम) के अंतर्गत भारत सरकार किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के अंतर्गत 7% प्रति वर्ष की दर पर अल्पावधि कार्यशील पूँजी ऋण प्रदान करने के लिए 1.5% की ब्याज सहायता प्रदान करती है।

इस प्रकार किसानों के लिए प्रभावी ब्याज दर 4% है।

नाबार्ड सीधे किसानों को ऋण प्रदान नहीं करता है। हालाँकि नाबार्ड किसानों को ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करता है।

नाबार्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान फसल ऋण उपलब्ध कराए गए किसानों की संख्या का राज्य-वार/संघ-राज्य वार ब्यौरा **अनुबंध I** में दिया गया है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी), महाराष्ट्र द्वारा अहमदनगर जिला के लिए दिए गए फसल ऋण आंकड़ों को **अनुबंध II** में दर्शाया गया है।

******

अनुबंध I

"नाबार्ड द्वारा किसानों को दिया गया फसल ऋण" के संबंध में दिनांक 10.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 955 के भाग (क) से (घ) के संदर्भ में विवरण।

फसल ऋण प्रदान किए गए खातों की संख्या की राज्यवार सूची **(लाख में)**

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25
		खाते की संख्या	खाते की संख्या	खाते की संख्या	खाते की संख्या
1	दिल्ली	0.10	0.39	0.39	0.15
2	हरियाणा	13.08	17.02	17.47	7.81
3	हिमाचल प्रदेश	3.63	5.07	5.44	2.23
4	जम्मू और कश्मीर	13.10	14.99	17.33	0.43
5	पंजाब	16.72	20.97	21.61	8.95
6	राजस्थान	37.86	42.47	42.98	19.90
7	चंडीगढ़	0.09	0.07	0.13	0.02
8	लद्दाख	0.55	0.62	0.66	0.04
9	अरुणाचल प्रदेश	0.07	0.17	0.17	0.06
10	असम	2.05	3.22	4.05	1.54
11	मणिपुर	0.09	0.16	0.17	0.08
12	मेघालय	0.20	0.22	0.31	0.13
13	मिजोरम	0.06	0.09	0.11	0.05
14	नागालैंड	0.36	0.37	0.41	0.18
15	सिक्किम	0.06	0.08	0.16	0.04
16	त्रिपुरा	0.34	0.52	0.54	0.25
17	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.06	0.10	0.11	0.05
18	बिहार	6.75	13.18	17.19	5.57
19	झारखंड	5.40	10.68	6.37	4.18
20	ओडिशा	7.47	12.63	14.15	5.85
21	पश्चिम बंगाल	9.57	17.13	20.89	7.28
22	छत्तीसगढ़	3.72	4.73	4.79	2.06
23	मध्य प्रदेश	39.91	41.08	42.51	16.62
24	उत्तराखंड	2.57	3.22	3.33	1.20
25	उत्तर प्रदेश	41.82	54.14	48.85	17.09
26	गोवा	0.29	0.38	0.41	0.17
27	गुजरात	17.68	20.76	21.25	11.57
28	महाराष्ट्र	26.20	32.85	29.55	11.53
29	दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	0.03	0.04	0.04	0.02
30	आंध्र प्रदेश	45.03	57.06	66.77	24.02
31	तेलंगाना	24.74	29.88	37.21	16.26
32	कर्नाटक	35.55	37.26	27.25	11.48
33	केरल	31.24	41.55	45.19	15.59
34	पुद्दुचेरी	1.21	1.66	1.96	0.38
35	तमिलनाडु	99.90	121.41	131.34	27.23
36	लक्षद्वीप	0.01	0.03	0.04	0.01

* दिनांक 30.09.2024 की स्थिति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के आंकड़े

अनुबंध II

"नाबार्ड द्वारा किसानों को दिया गया फसल ऋण" के संबंध में दिनांक10.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 955 के भाग (क) से (घ) के संदर्भ में विवरण

अहमदनगर जिले में फसल ऋण प्रदान किए गए खातों की संख्या **(लाख में)**

क्र.सं.	**जिला**	**वित्तीय वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**	**वित्तीय वर्ष 2023-24**	**वित्तीय वर्ष 2024-25**
		खातों की संख्या	**खातों की संख्या**	**खातों की संख्या**	**खातों की संख्या**
1	अहमदनगर	1.89	1.44	1.28	1.07

* दिनांक 30.12.2024 की स्थिति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के आंकड़े